

## अनुसूची -III

### प्रपत्र -क

शास्त्र लाइसेन्स के लिए आवेदन का प्रपत्र  
(नियम 51 देखें)

### भाग-क आवेदक की पहचान

1. नाम :
2. पिता/पति/पत्नी का नाम :
3. जन्म स्थान (उत्पत्ति) :
4. जन्म तिथि (ईसवी सन् में शब्दों और अंकों में) :
5. वर्तमान पता :
- \*\*निकटतम पुलिस थाना :
6. स्थायी पता :
- \*\*निकटतम पुलिस थाना :
7. व्यवसाय और कार्यालय में धारित पद, यदि कोई हो, का पदनाम, (पते सहित) :

( हस्ताक्षर /अंगूठा

निशानी)

(नोट: \*\* निकटतम पुलिस थाने का आशय उस पुलिस थाने से है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पते में उल्लिखित स्थान आता है।)

### भाग-ख -आवेदक का अन्य विवरण

8. क्या आवेदक को -
  - क. दोषी ठहराया गया है - यदि हां तो अपराध, सजा एवं सजा की तारीखें ;
  - ख. शान्ति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय VIII

के अंतर्गत बॉण्ड निष्पादित करने का आदेश दिया गया, यदि हां तो, कब और कितनी अवधि के लिए;

- ग. शस्त्र अधिनियम, 1959 या किसी अन्य कानून के तहत शस्त्र /गोला बारूद रखने से निषिद्ध किया गया है ।
9. क. क्या आवेदक ने इससे पहले भी लाइसेन्स के लिए आवेदन किया है - यदि हां तो कब, किसको तथा उसका क्या परिणाम रहा ;
- ख. क्या आवेदक के लाइसेंस को कभी स्थगित या रद्द किया गया /वापस लिया गया है - यदि हां तो कब, किसके द्वारा और किस कारण से;
- ग. क्या आवेदक के परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास कोई शस्त्र लाइसेंस है - यदि हां तो, उसका विवरण दें ।
10. क्या आवेदक :-
- क. लाइसेंस धारक अथवा लाइसेंस रखने से छूट प्राप्त व्यक्ति है, यदि हां तो धारित शस्त्रों का विवरण दें ;
- ख. के पास शस्त्र रखने का कोई सुरक्षित स्थान है ;
- ग. प्रामाणिक पर्यटक है -यदि हां तो
- i. इस देश से संबंधित है उसका नाम;
- ii. क्या उसके देश के कानूनों के द्वारा उसे शस्त्र और गोलाबारूद रखने से निषिद्ध किया गया है
- iii. भारत में उसके आगमन की संभावित तारीख

**नोट:** प्रामाणिक पर्यटक को, धारा 10 और नियम 32 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन, केवल खेल-कूद के प्रयोजन से अपने प्रयोग के लिए तार्किक मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद भारत में लाने की अनुमति है और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसी अनुमति नहीं है

### भाग-ग-लाइसेंस का विवरण

11. लाइसेंस की आवश्यकता :
12. प्रपत्र में इसमें लाइसेंस अपेक्षित हैं :
13. शस्त्रों /गोलाबारूद का विवरण :
14. (क) वह क्षेत्र में इसके अन्तर्गत आवेदक शस्त्र ले जाना चाहता है :  
(ख) वह स्थान जहां शस्त्रों /गोलाबारूद को रखा /विनिर्मित आदि किया जाएगा :  
(ग) आयात /निर्यात या परिवहन का स्थान/मार्ग
15. संगत लाइसेंस प्रपत्र में अपेक्षित अन्य विवरण :
16. विशेष रूप से विचार करने के लिए दावे :

**नोट :** कालम 11 में आवेदक को ऐसे प्रयोजनों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए उसे लाइसेंस की आवश्यकता है - जैसे कि प्रयोग, मरम्मत, परिवर्तन , प्रमाण, परीक्षण आयात, पुनःआयात,निर्यात, पुनःनिर्यात, परिवहन, आत्मरक्षा, खेल-कूद, प्रदर्शन, मानव जाति / पशुओं को क्षति पहुँचाने वाले जंगली जानवरों का विनाश, मवेशियों एवं फसलों की रक्षा, लक्ष्य-भेदन अभ्यास/निशानेबाजी, भारत की यात्रा करने वाले प्रामाणिक यात्री के रूप में अस्थाई धारण आदि ।

**भाग घ- आयात /निर्यात/परिवहन/पुनःनिर्यात/पुनःआयात हेतु लाइसेंस की  
आवश्यकता वाले आवेदक के लिए ।**

- (क) क्या नियम 50 के अन्तर्गत अपेक्षित सम्बंधित प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन, यदि कोई, प्राप्त कर लिया गया है और यदि हाँ तो,  
(ख) उसके समर्थन में साक्ष्य :

**घोषणा**

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि आवेदन में उल्लिखित उपरोक्त विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई सूचना किसी भी स्तर पर गलत या असत्य पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध शस्त्र अधिनियम, 1959, शस्त्रनियम 1962 और इस समय लागू अन्य केन्द्रीय अधिनियम के संगत उपबंधों या कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक के हस्ताक्षर /अंगूठा

निशानी

स्थान:

दिनांक:

(नोट: असंगत प्रविष्टियों को काट दें )

**चेतावनी :** आवेदन प्रपत्र में नियम 51-क का उल्लंघन करके किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाने या कोई झूठ या गलत जानकारी देने से आवेदक को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के अंतर्गत दण्डित किया जा सकता है।